भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 923

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में पीएमकेएसवाई

923. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत बिहार में सारण जिले हेतु प्रस्तुत सिंचाई प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है और लंबित पड़ा हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो योजनाओं और उनमें हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

क): बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत, सारण जिले (चरण-I) में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी संबंधी प्रस्तावित परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) का इस समय केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में मूल्यांकन किया जा रहा है। बिहार सरकार से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों पर अनुपालनात्मक कार्यवाही प्रतीक्षित है। इसके आधार पर सीडब्ल्यूसी की जांच समिति द्वारा पीएफआर की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ताकि राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा सके।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, फार्म पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। यह एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि एचकेकेपी, के चार उप-घटक हैं, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्लूयएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर), और भूजल (जीडब्लयू) विकास

घटक। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक भी वर्ष 2016-21 के दौरान पीएमकेएसवाई का एक घटक था, जिसे अब अलग से लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा 93,068 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2016-2023 की अवधि के दौरान पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में) नीचे दर्शायी गई है।

			पीएमकेएसवाई - हर खेत को पानी				
क्र.सं.	**राज्य**	**सीएडी एवं डब्ल्यूएम के समरूप (पारी-पासू) कार्यान्वयन के साथ एआईबीपी**	**एसएम आई**	**आरआरआर**	**भूजल**	**पीडीएमसी में सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र**	**वाटरशेड विकास**
1	आंध्र प्रदेश	24.33	-	0	-	910.55	232.13
2	बिहार	19.64	33.73	17.87	-	25.03	23.55
3	छत्तीसगढ़	16.76	4.87	-	-	148.15	23.73
4	गोवा	4.09	-	-	-	0.89	-
5	गुजरात	593.02	-	1.40	14.36	1065.29	28.09
6	हरियाणा	-	-	-	-	144.97	16.87
7	हिमाचल प्रदेश	-	20.60	-	-	10.89	4.53
8	झारखंड	0.61	6.08	-	-	34.68	4.49
9	जम्मू-कश्मीर	6.52	24.42	-	-	1.10	31.88
10	लद्दाख	-		-	-	-	0.37
11	कर्नाटक	170.33	0	-	-	1749.24	64.29
12	केरल	26.66	-	-	-	5.39	29.74
13	मध्य प्रदेश	104.66	31.83	8	-	353.28	143.98
14	महाराष्ट्र	332.23	-	-	-	937.04	83.16
15	ओडिशा	58.88	-	25.07	-	95.48	57.33
16	पंजाब	59.05	-	-	-	14.50	3.08

17	राजस्थान	7.24	-	9.95	-	705.15	90.03
18	तमिलनाडु	4.12	-	5.37	2.66	1077.27	103.04
19	तेलंगाना	187.11	-	25.04	-	326.34	54.52
20	उत्तराखंड	-	15.81	-	8.01	32.21	0.53
21	उत्तर प्रदेश	763.93	-	2.354	107.5	352.53	103.63
22	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	91.64	17.09
23	अरुणाचल प्रदेश	-	5.63	-	3.74	11.71	5.55
24	असम	36.55	78.79	-	113.50	40.70	107.92
25	मणिपुर	107.48	8.29	0	2.06	15.26	1.82
26	मेघालय	-	18.44	0.88	-	0	3.27
27	मिजोरम	-	2.22	-	2.18	4.52	27.90
28	नागालैंड	-	4.48	-	0.66	17.49	4.51
29	सिक्किम	-	4.18	-	-	11.98	0.03
30	त्रिपुरा	-	0	-	5.31	4.14	3.35
कुल योग		**2,523.21**	**259.38**	**95.93**	**259.98**	**8,187.42**	**1,270.41**

****